फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

गुठलराम बनाम राज0 सरकार

मु0नं0– 74/2025

किस्म मुकदमा–इन्द्राज दुरूस्ती

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.2025	पत्रावली में जवाब स्टेट प्राप्त होने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी गुठलराम गुर्जर पुत्र लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी फर्राशपुरा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा का निवासी है। आराजी खसरा नम्बर 224, 225, 278, 286, 287 वाके रामा फर्राशपुरा तह0 बहरावण्डा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का अशुद्ध नाम गुब्बल पुत्र लक्ष्मण हि0 1/6 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। आराजी खसरा नम्बर 1000 वाके रामा फर्राशपुरा तह0 बहरावण्डा में प्रार्थी का अशुद्ध नाम गुठला पुत्र लक्ष्मण दर्ज है। खसरा नम्बर 1049, 1050, 1051 वाके रामा फर्राशपुरा तह0 बहरावण्डा में प्रार्थी का अशुद्ध नाम गुठला पुत्र लक्ष्मण दर्ज है। खसरा नम्बर 218, 219, 220, 221, 222, 432 वाके रामा फर्राशपुरा तह0 बहरावण्डा में प्रार्थी का अशुद्ध नाम गुठ्ठल पुत्र लक्ष्मण दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 1005 वाके रामा फर्राशपुरा में प्रार्थी का अशुद्ध नाम गटठल पुत्र लक्ष्मण दर्ज है। खसरा नम्बर 996 वाके रामा फर्राशपुरा तह0 बहरावण्डा में प्रार्थी का अशुद्ध नाम गुठल्या पुत्र लक्ष्मण दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम गुठल राम गुर्जर पुत्र लक्ष्मण गुर्जर है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार शुद्धि की जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बहरावण्डा से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है वादपत्र में वर्णित सभी नाम एक ही व्यक्ति के है इस नाम का ग्राम फर्राशपुरा में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी का प्रकरण स्वीकार योग्य है एवं प्रार्थी अपने सही नाम का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में करवाने का अधिकारी है। अतः प्रकरण स्वीकार कर विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का सही नाम गुठल राम गुर्जर पुत्र लक्ष्मण गुर्जर दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	